तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-8-22	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में पेश हो। वकील पक्षकार उपस्थित है। पत्रावली में जवाब सरकार प्राप्त हो चुका है जो शामिल मिसल किया गया। जवाब सरकार में वादीनी का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की है। बहस अधिवक्ता सुनी गयी। जवाब सरकार, बहस अधिवक्ता एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत दीगोद जिला कोटा	
	सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत दीगोद जिला कोटा	
	अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत दीगोद जिला कोटा	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 119/21 निर्णय दिनांकः—13.08.2022

उनवान

1— शान्तिबाई उर्फ आणंदीबाई पुत्री ओंकार निवासी सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा (वादीनी)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (राज0) (प्रतिवादी)

वादीनी की ओर से— श्री कौशल किशोर वेष्णव अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से— तहसीलदार दीगोद

वाद अन्तर्गत धारा 88—89 आर.टी. एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

संक्षेप में मामला यह है कि ग्राम सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीनी के शामलाती खाते में खाता संख्या 194 की खसरा नम्बर 349 रकबा 0.47 है0 , खसरा नम्बर 598 रकबा 1.04 हे0, ख0नं0 641 रकबा 0.41 हे0 , ख0नं0 844 रकबा 1.15 हे0, कुल 4 किता की रकबा 3.07 है0 भमि स्थित चली आ रही है। जिसमें वादीनी का नाम आणंदीबाई दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 संलग्न है।

यह कि वादीनी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम आणंदीबाई के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है जबकि वादीनी का वास्तविक नाम शांतिबाई है तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादीनी का नाम शांति बाई है। जिससे वादीनी को सरकार योजनाओं में किसान क्रेडिड कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है। जिसके दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः वादीनी ने निवेदन किया है कि ग्राम सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीनी के शामलाती खाते में खाता संख्या 194 की खसरा नम्बर 349 रकबा 0.47 है0 , खसरा नम्बर 598 रकबा 1.04 हे0, ख0नं0 641 रकबा 0.41 हे0 , ख0नं0 844 रकबा 1.15 हे0, कुल 4 किता की रकबा 3.07 है0 भमि में वादीनी का नाम आणंदीबाई के स्थान पर शांतिबाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादीनी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी की विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद से जवाब सरकार लिया गया। तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार आणंदीबाई व शांतिबाई एक ही

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

महिला है। तहसीलदार दीगोद की ओर से अभिशंषा की है कि वादीनी का नाम आणंदीबाई के स्थान पर शांतिबाई दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

वादीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीनी के शामलाती खाते में खाता संख्या 194 की खसरा नम्बर 349 रकबा 0.47 है0 , खसरा नम्बर 598 रकबा 1.04 हे0, ख0नं0 641 रकबा 0.41 हे0 , ख0नं0 844 रकबा 1.15 हे0, कुल 4 किता की रकबा 3.07 है0 भमि में वादीनी का नाम आणंदीबाई के स्थान पर शांतिबाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को सरे राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दींगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

18

... पक्ष/
... उपस्थित/अनु० पत्रावली में
... अधिकता के कारण आज
... प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही
नहीं हो सकी। पत्रावली पर्यंत